कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत केसरिया
जिला– पूर्वी चम्पारण

DS (V.R)

पत्र
18 DEC 2015
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर पंचायत केसरिया के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1003 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

21 DEC 2015
18036

ह0/–
(श्री विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14525/276 दिनांक– 30/11/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

30/11/15
(श्री विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत केसरिया
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1003/15–16
(अवधि–2012–13 से 2014–15)

भाग – I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, केसरिया
2.	लेखा वर्ष	2012–13 से 2014–15
3.	अंकेक्षण अवधि	15.06.2015 से 20.06.2015
4.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट–I और II पर संलग्न
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. ललन कुमार सिंह, लेखा परीक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री राकेश खन्ना, व0ले0प0अ0
7.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री अमरेन्द्र कुमार
8.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 20.06.2015 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।
9.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– I
10.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– II
11.	लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां	परिशिष्ट– V

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई /कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नही होगा।

12. **प्रशासन**

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री प्रमोद कुमार	वरीय उप समाहर्ता	29.04.2010	27.08.2013
2	श्री राजेश्वर प्रसाद	वरीय उप समाहर्ता	27.08.2013	28.02.2014
3	श्री शिवनाथ ठाकुर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	28.02.2014	04.10.2014
4	श्री पंकज कुमार दीक्षित	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	04.10.2014	11.05.2015
5	श्री अमरेन्द्र कुमार	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	05.06.2015	अब तक

1	श्रीमती रंभा देवी	अध्यक्ष	30.04.2008	29.04.2013
1	श्रीमती स्नेहलता देवी	अध्यक्ष	30.04.2013	अब तक

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत केसरिया द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के अनुसार नगर पंचायत द्वारा संधारित सामान्य रोकड़बही में दर्ज इन्द्राजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की आय–व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–**III** पर संलग्न)

- **सामान्य खाता रोकड़बही**

	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
प्रारम्भिक शेष	7425235	9226336	16515305	21726049	65484105
आय	12090437	12459231	18050428	56821312	40055384
कुल	19515672	21685567	34565733	78547361	105539489
व्यय	10289336	5170262	12839684	13063256	44389115
अंतशेष	9226336	16515305	21726049	65484105	61150374

15. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे:– मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख–रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेगें। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम .

1. **अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– ₹**16700.00

2. **अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹**1162159.00

3. **अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– ₹**1910971.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–**V** पर संलग्न)

भाग – II खंड क–शून्य

भाग – II खंड ख

कंडिका सं0 1. होल्डिंग बकाया राशि के विलम्ब से वसूली पर ब्याज नहीं लिया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के खण्ड (3) एवं धारा 419 की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार वर्ष के लिए कुल घृति कर का भुगतान उस वर्ष 30 जून के पूर्व करने पर करदाता को 5 प्रतिश्त की छूट एवं 30 सितम्बर के बाद करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज वसूल किया जाएगा।

नगर पंचायत केसरिया के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 के होल्डिंग रसीद एवं संबंधित लेखाओं के नमूना जाँच में पाया गया कि 30 सितम्बर के बाद धृति कर भुगतान करने पर भी 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की वसूर्ल. नहीं की गयी थी। विवरणी इस प्रकार है:–

रसीद संख्या	वित्तीय वर्ष	वसूली की तिथि	1 अक्टूबर 2013 से विलम्ब	वसूली की राशि	1.5 प्रतिशत प्रति माह से ब्याज
1424–1439	2009–10 से 2012–13	5.9.14–27.9.14	12 माह	3854	694
1440–1448	2009–10 से 2012–13	7.10.14–24.10.14	13 माह	2482	484
1449–1457	2009–10 से 2012–13	3.11.14–14.11.14	14 माह	2070	435
1458–1466	2012–13 से 2013–14	17.11.14–29.11.14	14 माह	7506	1576
1467–1485	2009–10 से 2013–14	13.12.14–27.12.14	15 माह	8288	1865
				कुल	5054

विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा होल्डिंग राशि के विलम्ब से वसूली पर ब्याज नहीं लिए जाने पर नगर पंचायत को राजस्व की हानि हो रही थी। जवाब में बताया गया कि नियम के जानकारी के अभाव में ब्याज की वसूली नहीं हो पायी, भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। करदाता के ब्याज की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः उक्त ब्याज की राश्ि रू0 5054 करदाता से वसूली जाए अन्यथा कर संग्रहकर्ता से राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति की जाए एवं अन्य मामलों में भी ब्याज की राशि गणना कर वसूली की जाय।

कंडिका सं0 2. मोबाईल टावर पर बकाया राशि ₹ 596880.00

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक– 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क ₹ 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क ₹ 8000.00 प्रति टावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6 (2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही नियम 6(4) के अनुसार टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6 (6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय होगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6 (7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तों 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12 (1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह ₹ 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

नगर पंचायत, केसरिया के मोबाईल टावर के संचिका के अवलोकन के क्रम मे पाया गया कि नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत कुल 6 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे, जिसमें से एक टावर संचालक टाटा इंडिकॉम कंपनी के द्वारा D.D.No. 177028, दिनांक–22.11.2008 के द्वारा ₹ 80,000/– एवं D.D.No. 788573 दिनांक–04.01.2010 के द्वारा ₹80,000/– जमा किया जा चुका था एवं भारती एयरटेल के द्वारा 2(दो) मोबाईल टावरों का निबंधन शुल्क ₹ 60,000 दिनांक 07.06.2013 को चेक सं० 514688–9 के द्वारा जमा करवाया गया था। अन्य मोबाईल टावरों के यहाँ बकाया निबंधन शुल्क, नवीकरण शुल्क, ब्याज एवं शास्ति की कुल बकाया राशि ₹ 596880.00 थी। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–**IV** पर संलग्न)

नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि बिहार संचार मिनार नियमावली के तहत वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया जा चुका है एवं भविष्य में आवश्यक कार्रवाई की बात कही गयी।

यथाशीघ्र मोबाईल टावर संचालकों से बकाया राशि ₹ 596880.00 की वसूली की कार्रवाई की जाए।

कंडिका सं0 3. सुरक्षित जमा के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के फलस्वरूप बन्दोबस्ती कार्य का नहीं होना व राजस्व की हानि

वर्ष 2008 में नगर पंचायत केसरिया के गठन के उपरान्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 100 के प्रावधानानुसार इस धारा में वर्णित सम्पत्तियाँ नगर पंचायत, केसरिया में स्वनिहित हो जाती है, जिसक आलोक में नगर पंचायत, केसरिया द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट प्राक्कलन में बस पड़ाव केसरिया की बन्दोबस्ती से ₹ 2,50,000/– की प्राप्ति का प्रावधान कर इसी राशि को सुरक्षित जमा राशि निर्धारित करते हुए वर्ष 2009–10 में प्रथम बार बस पड़ाव की बन्दोबस्ती की गयी। इसी क्रम में आगे के वर्षो में 4 अन्य सैरातों की बन्दोबस्ती प्रारम्भ की गयी। परन्तु इन सैरातों की प्रथम बार बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरक.र के पत्रांक 09/रा0–7 प0च0–7/2001/668/9/रा0 दिनांक 01.08.2002 के प्रावधानानुसार कि सुरक्षित जमा का निर्धारण प्रत्येक जिला में गठित सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की गयी सुरक्षित जमा की अनुशंसा पर प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा सुरक्षित जमा के पुनर्निधारण हेतु इसी पत्र के प्रावधानानुसार प्रत्येक तीन वर्षो में पिछले वर्ष की बन्दोबस्ती राशि तथा पूर्व की सुरक्षित जमा राशि में से जो अधिक हो में 15 प्रतिशत वृद्धि कर सुरक्षित जमा राशि निर्धारित की जायेगी, के आलोक में सुरक्षित जमा का पुनर्निर्धारण न कर स्वच्छंद रूप से या तो पूर्व वर्ष की बन्दोबस्ती राशि को ही अगले वर्ष सुरक्षित

जमा निर्धारित किये जाने अथवा हर वर्ष स्वच्छंद रूप से इसे बढ़ा/घटा कर निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप सैरातों की लेखापरीक्षा अवधि में नियमित रूप से बन्दोबस्ती नहीं हुयी। विवरण निम्न प्रकार है:-

कम सं0	सैरात का नाम	2012-13		2013-14		2014-15 जुलाई 14 से मार्च 15	
		सुरक्षित जमा	बन्दोबस्ती	सुरक्षित जमा	बन्दोबस्ती	सुरक्षित जमा	बन्दोबस्ती
1	बस पड़ाव	6,40,000	21,75,100	21,75,100	नहीं हुआ	8,68,239	8,70,100
2	विज्ञापन शुल्क	8400	नहीं हुआ	4200	नहीं हुआ	6300	6750
3	सड़क किनारे चुंगी	75000	नहीं हुआ	37500	37750	28312	28650
4	केसरिया हाट	-	-	-	-	34277	34650
5	हमीदपुरहाट	-	-	-	-	690	760

सरकार के उपर्युक्त पत्र के निर्देश के आलोक में सुरक्षित जमा का निर्धारण व पुनर्निर्धारण न किये जाने के कारण सुरक्षित जमा राशि अत्याधिक बढ़ी तथा सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु किसी ने इच्छा नहीं दिखायी जिसके फलस्वरूप केवल बस पड़ाव के मामले में नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹ 507725.00 की लेखा परीक्षा अवधि में हानि हुई:-

क0 सं0	वर्ष	वर्ष 2009-10 में निर्धारित सुरक्षित जमा - ₹ 250000.00 तत्पश्चात सुरक्षित जमा का सही निर्धारण	नगर पंचायत द्वारा गलत निर्धारण	बन्दोबस्ती की स्थिति	नगर पंचायत को न्यूनतम हानि
1.	2010-11	250000.00	225000.00	475000.00	-
2.	2011-12	250000.00	439250.00	441500.00	-
3.	2012-13 पुनर्निर्धारण	507725.00	640000.00	2175100.00	-
4.	2013-14	507725.00	2175000.00	नहीं हुआ	507725.00
5.	2014-15	507725.00	868239.00	870100.00	-
6.	2015-16	1000615.00	1160133.00	अब तक नहीं हुआ	
				कुल हानि	507725.00

इस प्रकार नगर पंचायत को वर्ष 2012-13 से 2014-15 में ₹507725.00 की हानि हुई।

लेखापरीक्षा की आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि उल्लिखित पत्र नगर पंचायत के गठन के पूर्व का होने के कारण नगर पंचायत को उपलब्ध नहीं थी जिसके फलस्वरूप इस पत्र के निर्देशानुसार सुरक्षित जमा का निर्धारण/पुनर्निर्धारण नहीं हो सका। भविष्य में इसका निर्धारण इस पत्र के निर्देश के आलोक में किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि पत्र के निर्देश के अनुपालन में हुयी चूक के कारण नगर पंच.यत को न्यूनतम ₹ 507725.00 का नुकसान हुआ। सैरात की बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में विभागीय वसूली नहीं किया जाना विभागीय लापरवाही/राजस्व वृद्धि में रूचि नहीं होने का द्योतक है। अतः रू0 507725.00 की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाए।

कंडिका सं0 04. मुख्य पार्षद हेतु वाहन का अनियमित क्रय

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 75 के प्रावधानानुसार बिना बजट प्रावधान के कोई भी नगरपालिका कोई व्यय मंजूर नहीं करेगा। इसके विपरीत नगर पंचायत, केसरिया के सामान्य रोकड़ बही तथा मुख्य पार्षद हेतु वाहन क्रय व ईंधन आपूर्ति संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत बोर्ड की मासिक बैठक के निर्णय के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी के लिय वाहन क्रय के साथ मुख्य पार्षद के लिये भी एक स्कॉर्पियो वाहन का क्रय मुख्य पार्षद हेतु किया गया तथा जिसपर निम्न विवरणानुसार ₹ 9,22,936.00 का अनियमित व्यय किया गया:–

क्रम सं0	चेक संख्या	दिनांक	राशि ₹ में	व्यय विवरणी
1	007050	20.12.2013	826715.00	बीमा व्यय सहित वाहन मूल्य श्री आर.सी.इन्टर प्राइजेज, मोतिहारी को भुगतान
2	013794	04.12.2014	41961.00	एसेसरीज मूल्य
3	013796	18.12.2014	4000.00	हैन्डलींग चार्ज
4	013797	18.12.2014	50270.00	पंजीकरण सं0 BR-01-PE-6801 शुल्क
		कुल	922946.00	

इसके अतिरिक्त इस वाहन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार ईंधन व्यय किया गया:–

क्रम सं0	ईंधन मात्रा (लिटर में)	दिनांक	राशि ₹ में	भुगतान अभि. संख्या/ तिथि
1	25	01.01.2014	1446.00	क्रम सं0 1 से 4 तक, अभिश्रव सं0 236 से 239
2	30	06.01.2014	1781.00	
3	16.75	08.02.2014	1000.00	
4	10	13.02.2014	595.00	
5.	10	28.02.2014	599.00	क्रम सं0 5 से 11 तक, 61 से 67 / 25.09.2013
6	16.513	27.03.2014	1000.00	चेक सं0 018895 दिनांक 25.09.2014
7	16.58	24.04.2014	1000.00	
8	32.42	29.05.2014	2000.00	
9	23.63	27.07.2014	1500.00	
10	45.76	02.08.2014	2924.00	
11	7.75	03.09.2014	500.00	
12		16.10.2014	2000.00	क्रम सं0 12 से 15 तक, 172 से 175/ 27.03.2015
13		19.12.2014	1115.00	चेक सं0 018895 दिनांक 25.09.2014
14		18.01.2015	2000.00	
15		28.01.2015	542.00	
		कुल	20002.00	

लेखापरीक्षा द्वारा, नगर अध्यक्ष को वाहन उपलब्धता तथा बजट में प्रावधान न होने के बावजूद वाहन क्रय के औचित्य विषयक पूछे गए प्रश्न पर क्रमशः नगर विकास एवं आवास विभाग से पत्राचार किये जाने तथा बजट प्राक्कलन में प्रावधान न होने के बावजूद इस हेतु सक्षम बोर्ड के निर्णय के आलोक में क्रय किये जाने की बात कही गयी जो लेखापरीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करती है। अतः नगर विकास व आवास विभाग से प्रावधान की पुष्टि तक समस्त व्यय ₹ 942948.00 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0 05. कार्यालय वाहन व चालक का अन्य कार्यालय में उपयोग

नगर पंचायत, केसरिया के वाहनों से संबंधित संचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के उपयोग करने हेतु एक स्कॉर्पियो वाहन सं० BR-01-PE 6613 की खरीद अक्टूबर 2013 में की गई थी। दिनांक 28.02.14 से वर्तमान तक इस कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, केसरिया को दिया जाता रहा है। इस कार्यालय के पत्रांक 185, दिनांक 04.06.2014 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस कार्यालय का वाहन विगत लोकसभा चुनाव के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी चकिया द्वारा मौखिक आदेश पर मंगाया गया। तत्कालिक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ही नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में होने एवं प्रखण्ड की गाड़ी उपलब्ध होने का हवाला देते हुए यह गाड़ी 'एक पदाधिकारी एक गाड़ी' के तहत भेज दी गई। तत्पश्चात् यह गाड़ी जिला गोपनीय शाखा, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में ही उपलब्ध है। तत्पश्चात् भाऊचर के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि इस कार्यालय के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी जो कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भी हैं के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न जगहों पर जाने के लिए गाड़ी भाड़े पर ली गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में जो उनके पास प्रखण्ड कार्यालय की गाड़ी थी का उपयोग इस कार्यालय के कार्यों के लिए नहीं किया जा रहा था एवं इस कार्यालय का अपना वाहन होते हुए भी गाड़ी भाड़ा पर लिया जा रहा था क्योंकि इस कार्यालय का वाहन जिला गोपनीय शाखा, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के कार्यालय के द्वारा उपयोग किया जा रहा था। गाड़ी के कय में खर्च की विस्तृत विवरणी निम्न है:–

कम सं0		दिनांक	राशि (₹ में)
1.	गाड़ी का क्रयमूल्य	03.10.2013	789845.00
2.	गोविन्द ऑटो स्पेयर	03.10.2013	41961.00
3.	इंश्योरेन्स(03.10.13–02.10.14)	05.10.2013	26560.00
4.	गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क	28.12.2013	49513.00
5.	इंश्योरेन्स	08.01.2015	23,697.00
		कुल	9,31,576.00

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत, केसरिया की गाड़ी के ड्राईवर (चालक) के लिए राशि ₹ 6000/– प्रति माह का व्यय किया जा रहा था। जो अनुमण्डल कार्यालय चकिया पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक संख्या 590, दिनांक 10.03.2014 के आलोक में इसी तिथि से अनुमण्डल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ड्राईवर के वेतन में 10.03.2014 से 03.10.2014 तक की अवधि में की गई व्यय की विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:–

कम सं0	समयावधि	राशि (₹ में)
1.	10.03.2014 से 09.04.2014	5,022.00
2.	10.04.2014 से 25.05.2014	7,452.00
3.	26.05.2014 से 10.07.2014	8,418.00
4.	11.07.2014 से 25.08.2014	8,418.00
5.	26.08.2014 से 03.10.2014	7,137.00
	कुल	36447.00

अतः गाड़ी पर अब तक किये गये व्यय की राशि ₹931576.00 की प्रतिपूर्ति जिला गोपनीय शाखा, मोतिहारी से प्राप्त की जाए तथा नगर पंचायत के चालक पर दिनांक 10.03.2014 से 03.10.2014 तक खर्च किये गये राशि ₹36447.00 एवं यदि चालक उसके बाद भी यदि अनुमण्डल कार्यालय में कार्य कर रहा हो तो उसके बाद दिये गये वेतन की प्रतिपूर्ति अनुमण्डल कार्यालय, चकिया से प्राप्त की जाए। आपत्ति के विरूद्ध, कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि गाड़ी पर किये गये संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति जिला गोपनीय शाखा मोतिहारी से प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी। चालक पर उपरोक्त तिथि में किये गये संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमंडल पदाधिकारी चकिया से माँग की जायेगी। तब तक व्यय की गयी सम्पूर्ण राशि ₹968023.00 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0 06. असमायोजित अग्रिम राशि ₹ 52500

नगर पंचायत, केसरीया के द्वारा संधारित अग्रिम पंजी के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि 9(नौ) कर्मचारियों पर दिनांक 31.03.2015 तक कुल राशि ₹ 69200/– असमायोजित अग्रिम के रूप में बकाया थी। जिसमें से दो कर्मचारी श्री लालबाबु प्रसाद पर बकाया असमायोजित अग्रिम राशि ₹ 2800 एवं श्री मृत्युंजय कुमार पर बकाया असमायोजित अग्रिम राशि ₹13900 अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत के खाता में जमा कर दी गई। बकाया असमायोजित अग्रिम राशि की विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	अग्रिम धारक का नाम	पदनाम	तिथि	राशि (रु.में)
1.	श्री उमाशंकर प्रसाद	वार्ड पार्षद	05.09.14	7500
2.	श्रीमती स्नेहलता सिंह	मुख्य पार्षद	22.12.14	7500
3.	श्रीमती रेणु देवी	वार्ड पार्षद	05.02.15	7500
4.	श्रीमती रीना देवी	वार्ड पार्षद	05.02.15	7500
5.	श्री बृजेन्द्र किशोर पाठक	वार्ड पार्षद	20.02.15	7500
6.	श्री मनोज राम	वार्ड पार्षद	20.02.15	7500
7.	श्री श्यामबाबु प्रसाद	वार्ड पार्षद	20.02.15	7500
			कुल	52500

अग्रिम का शीघ्र समायोजन/वसूली सुनिश्चित किया जाय। वार्ड पार्षदों को अग्रिम दिये जाने के प्रावधान से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं0 07. बकाया धृति कर ₹ 290835.00

नगर पंचायत, केसरिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2015 को नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत धृतियों के विरूद्ध कुल राशि ₹ 290835.00 धृतिकर बकाया थी। होल्डिंग टैक्स के वसूली नियमावली का अनुसरण करते हुए जल्द वसूली की कार्रवाई की जाए।

भाग–III (TAN)

कंडिका सं0 1. धृति कर माँग व वसूली पंजी का त्रुटिपूर्ण संधारण

नगर पंचायत, केसरिया के होल्डिग डिमाण्ड रजिस्टर के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि रजिस्टर का संधारण बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक–2014 के प्रपत्र–जी.इ.एन.–21 के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।

जवाब में कहा गया कि होल्डिंग डिमांड रजिस्टर का नियमानुसार संधारण कर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

जवाब पर्याप्त नहीं है क्योंकि जवाब में वसूली सुनिश्चित किये जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। अतएव होल्डिंग डिमान्ड रजिस्टर का उक्त नियमानुसार संधारण कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

हस्ता0–
(बलराम मिश्रा)
स0ले0प0अ0

अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

89

13

परिशिष्ट-1

केसरीया नगर पंचायत

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की सुची

(प्रतिवेदन की कंड़िका भाग-1 9(भाग- I) से संदर्भित)

1. लेखापाल रोकड़बही
2. होल्डिग रसीद
3. मनी रसीद
4. सहायक रोकड़बही
5. स्टोक रजिस्टर- एच, एम एव स्थायी सामग्री
6. सैरात / बन्दोबस्ती से संबधित रजिस्टर एवं संचिकाए
7. अग्रीम रजिस्टर
8. योजना पंजी
9. योजना संचिका- आंशिक
10. सामानों के कय से संबंधित संचिका
11. लॉग बुक
12. अभिश्रव- आंशिक
13. सेवा पुस्त
14. संचार (मोबाईल) टावरों से संबंधित संचिका एवं विवरणी
15. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से संबधित संचिका
16. आई0एच0एस0डी0पी0 संचिका

बलराम
28/9/15
स.ल.प.अ.

परिशिष्ट–2

केसरीया नगर पंचायत

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत / असंधारित, अभिलेखो / पंजियों की सुचि

4 एवं 10 (भाग-I)

(प्रतिवेदन की कंडिका ....से संदर्भित)

1. मांग एवं वसूली पंजी
2. रोकड़पाल रोकड़वही एवं संबधित बैक पासबुक
3. वाद पंजी
4. सम्पति पंजी
5. वेतन पंजी
6. अनुदान पंजी
7. चेक निर्गत पंजी
8. वार्शिक लेखा
9. दुकान से संबधित पंजी,रजिस्टर एवं एकरारनामा से संबधित संचिकाएं
10. उपयोगिता प्रमाण पत्र
11. दैनिक मजदुरो के भुगतान से संबधित पंजी
12. बजट संचिका
13. वे सभी अभिलेख जिनका उल्लेख परिशिष्ट–1 में नहीं किया गया है।

28/9/15

परिशिष्ट - III
कंडिका -14 (भाग - I)

108

क्रम	योजना का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible]	व्यय	[illegible]	बैंक का नाम	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] S/A	[illegible]
(2)	[illegible]	12000		12000	—	12000	[illegible] S/A	[illegible]
(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	P.L.A/c + [illegible] S/A	P.L.A/c [illegible] + [illegible]
4	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] S/A	[illegible]
(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	- P.L.A/c
(6)	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	- Do -	- Do -
(अ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	- Do -	- Do -
(ब)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	- Do -	- Do -
(9)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]	- Do -	- Do -
(10)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	- Do -	- Do -
(11)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	64,000	[illegible]	[illegible] S/A	[illegible]
(12)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] S/A	[illegible]
(13)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] S/A	[illegible]
(14)	[illegible]	-	481515	481515	-	481515	[illegible]	P.L.A/c-103
(15)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1,00,000	[illegible]	[illegible] S/A	[illegible]
	Total ->	[illegible]	[illegible]	11515672	10281336	[illegible]		

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पंचायत केसरिया जिला - पूर्वी चम्पारण

आय-व्यय विवरणी वर्ष-2011-12, 1.4.2011 से 31.3.2012 तक

क्र०	मद का नाम	आय: गत वर्ष का अवशेष	आय: चालू वर्ष में प्राप्ति	आय: कुल योग	व्यय: भुगतान	व्यय: अवशेष	खातावार जमा राशि: बैंक का नाम	खातावार जमा राशि: खाता नं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंतरिक संसाधन से	3,56,389	29,86,066	3342455	6,21,885	27,20,570	CBI S/A CBI S/A SBI S/A	2115829819 3172986795 30467907990
2.	जमानत की राशि	12000	36350	48350	12,380	35970	CBI S/A	2115829819
3.	प्रशासनिक भवन	2887875	—	2887875	—	2887875	जिला कोषागार	P.L A/c No-103
4.	नदी घाट निर्माण/सौन्दर्यीकरण	821694	—	821694	337038	484656	-do-	-do-
5.	नाली निर्माण (नगर विकास)	459,629	—	459629	81185	378444	-do-	-do-
6.	पथ निर्माण (नगर विकास)	1609309	3,00,000	1909309	600660	1308649	-do-	-do-
7.	12वें वित्त आयोग	551376	—	551376	401074	150302	-do-	-do-
8.	13वें वित्त आयोग	6,00,000	2000105	2600105	1081145	1518960	-do-	-do-
9.	मैचिंग ग्रांट	481515	—	481515	—	481515	-do-	-do-
10.	विमत मासिक भत्ता	80850	61800	142650	55600	87050	-do-	-do-
11.	नगर प्रबंधक का मानदेय	14000	140000	154000	140,000	14000	CBI S/A	2115829819
12.	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान	4500	366000	370500	72000	298500	SBI S/A	30467907990
13.	मुख्य मंत्री नगर विकास योजना	676949	1187183	1864132	1160874	703258	-do-	-do-
14.	B.R.G.F	665,550	451824	1117374	491570	625804	SBI S/A	30502598041
15.	जनगणना 2011 अनुदान	4700	60800	65500	64851	649	SBI S/A	30467907990
16	B.P.L सर्वे	—	50,000	50000	50,000	NIL	SBI S/A	-do-
17	पंचम राज्य वित्त आयोग	—	4740124	4740124	—	4740124	जिला कोषागार	P.L A/c No-103
18	कम्प्यूटरीकरण मद से	—	78979	78979	—	78979	-do-	-do-
	Total →	92,26,336	12459231	21685567	5170262	165,15,305		

हस्ताक्षर 18.6.15

कार्यालय नगर पंचायत केसरिया जिला - पूर्वी चम्पारण

आय-व्यय विवरणी वर्ष- 2012-13 -1.4.2012 से 31.3.2013 तक

क्र०	मद का नाम	आय: गत वर्ष का अवशेष	आय: चालू वर्ष में प्राप्ति	आय: कुल योग	व्यय: भुगतान	व्यय: अवशेष	खातावार जमा राशि: बैंक का नाम	खातावार जमा राशि: खाता सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	आंतरिक संसाधन से	2720570	637196	3357766	620705	2737061	CBI S/A CBI S/A SBI S/A	2115829819 3172986775 30467907990
2.	मैचींग ग्रांट	481515	—	481515	—	481515	जिला कोषागार	P.L A/c No-103
3.	निर्गत मासिक भत्ता	87050	61800	148850	56200	92650	SBI S/A	30467907990
4.	नगर प्रबंधक का मानदेय	14000	240,000	254000	254000	NIL	CBI S/A	2115829819
5.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत							
	(A) वेतन मद में आवंटन	1108747	1597488	2706235	816789	1889446	जिला कोषागार	P.L A/c No-103
	(B) विद्युत विपत्र हेतु प्रदायी तथा Overhead	158392	228211	386603	86722	299881	—Do—	—Do—
	(C) विकास के कार्य	316783	456429	773212	280286	492926	—Do—	—Do—
	(D) हाथ से मैला ढोने वाले [illegible]	479149	474555	953704	392460	561244	—Do—	—Do—
	(E) नगरीय सड़क	170901	169258	340159	152485	187674	—Do—	—Do—
	(F) जलापूर्ति	143746	142367	286113	93774	192339	—Do—	—Do—
	(G) मलिनबस्ती [illegible]	119789	118639	238428	—	238428	—Do—	—Do—
	(H) पार्किंग स्थान	82891	—	82891	—	82891	—Do—	—Do—
	(I) सड़कों के लिए रोशनी	159726	158185	317911	159726	158185	—Do—	—Do—
	(J) आकस्मिक आ[illegible]	20,00,000	20,00,000	40,00,000	1608673	2391327	—Do—	—Do—
6	12वीं एवं 13वें वित्त आयोग	1669262	1415802	3085064	1885301	1199763	—Do—	—Do—
	योग →	9712521	7699930	17412451	6407121	11005330		

ह०/- [illegible]
18.6.15